न्यायालयः अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वल्लभनगर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी	:	प्रेम गढ़वाल, आर.जे.एस.
निर्णय दिनांक	:	28.04.2025
फौज. मूल प्र.सं.	:	186/2016
सीआईएस नंबर	:	66/2016
सी.एन.आर. नंबर	:	RJUD1B-000203-2016
प्रथम सूचना रि.सं.	:	194/2016
अन्तर्गत धारा	:	420 भा.द.सं.
पुलिस थाना	:	वल्लभनगर।

01. राजस्थान राज्य

——अभियोगी

बनाम

01. गणेशलाल पुत्र नवला, उम्र 48 वर्ष,

02. नाथूलाल पुत्र नवला, उम्र 62 वर्ष, निवासीयान ढीमड़ा, पुलिस थाना वल्लभनगर, जिला उदयपुर।(मृत्यु से कार्यवाही ड्रोप)

——अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा : 420 भा.दं.सं.

उपस्थितः—

1. अभियोजन अधिकारी राज्य की ओर से।
2. विद्वान अधिवक्ता श्री दुर्गाशंकर मेनारिया अभियुक्तगण की ओर से।

—::प्रकरण का संक्षिप्त विवरण::—

अपराध की तिथि	दिनांक 05.08.2015 से पूर्व
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	05.08.2015
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि	26.04.2016
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	12.07.2019
साक्ष्य आरंभ किए जाने की तिथि	05.01.2024

निर्णय आरक्षित किए जाने की तिथि	28.04.2025
निर्णय की तिथि	28.04.2025
दण्ड दिये जाने की तिथि (यदि हो तो)	

—:: अभियुक्तगण का विवरण ::—

अभियुक्त की क्रम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर छोड़े जाने की तिथि	अभियुक्त के आरोप का विवरण	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दिये गये दण्ड का विवरण यदि कोई हो तो	धारा—428 द0प्र0सं0 के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि
01.	गणेशलाल			420 भादस	दोषद्धि	3 वर्ष का साधारण कारावास व 10,000 / — रुपये अर्थदण्ड	

—:: अभियोजन / बचाव / न्यायालय गवाह सूची ::—

क. अभियोजन

साक्षी का कम	**साक्षी का नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**
पी.डब्ल्यू. 01.	देवीलाल	परिवादी
पी.डब्ल्यू. 02.	भैरुलाल	वाकियात शहादत रजिस्ट्री व फर्द निरीक्षण घटनास्थल ताईदकर्ता
पी.डब्ल्यू. 03.	भूरालाल	वाकियात शहादत व रजिस्ट्री की ताईदकर्ता
पी.डब्ल्यू. 04	सूरपाल सिंह	राजस्व रिकार्ड की ताईदकर्ता
पी.डब्ल्यू. 05	रणजीत सिंह	फर्द निरीक्षण घटनास्थल की ताईद करेगा।
पी.डब्ल्यू. 06	अक्षय निम्बार्क	बैंक रिकार्ड की ताईदकर्ता

ख. बचाव

साक्षी का कम	**साक्षी का नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**

——	——	——

—:: अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची ::—

क. अभियोजन

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
01	परिवाद	पी—01
02	नक्शा मौका	पी—02
03	विक्रय इकरार	पी—03
04	विक्रय पत्र दिनांक 08.02.2013 की प्रमाणित प्रति	पी—04
05	पटवारी की निशादेही से बनाया गया नक्शा मौका	पी—05
06	परिवादी के बैंक खाते के स्टेटमेंट की प्रमाणित प्रति	पी—05
07.	परिवादी के बैंक खाते के स्टेटमेंट की फोटो प्रति	पी—05ए
08	जमाबंदी	पी—05
09	नक्शा ट्रेस	पी—06
10	बैंक का लेटर पैड	पी—07

क. बचाव

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श डी. संख्या
——	——	——

—::निर्णय :— **दिनांक 28.04.2025**

---

(01) अभियोजन कहानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 05.08.2015 को परिवादी देवीलाल ने एक परिवाद न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि ग्राम फाचर पटवार हल्का करणपुर तहसील वल्लभनगर में स्थित खसरा नंबर 19, 20, 33, 34, 35 किता 5 रकबा 14 बीघा 3 बिस्वा भूमि में से अभियुक्त गणेशलाल ने अपना 1/20 हिस्सा मय आबादी में बने हुए नोहरे सहित ग्यारह लाख रुपये के

प्रतिफल में दिनांक 26.11.2012 को विक्रय करना तय कर विक्रय प्रतिफल कुलिया राशि ग्यारह लाख रुपया नगद प्राप्त कर अभियुक्त ने परिवादी के पक्ष में एक विक्रय इकरार सौ रुपये के स्टाम्प पर निष्पादित कर नोटेरी से प्रमाणित करवा असल विक्रय इकरार परिवादी को सुपुर्द कर दिया। विक्रय इकरार में यह शर्त रखी कि जब भी क्रेता पंजीयन के लिये कहेगा पंजीयन करवा कब्जा सुपुर्द कर देगा। अभियुक्त को इस बात का भली भांति ज्ञान था कि उक्त भूमि परिवादी को 11 लाख रुपये के प्रतिफल में विक्रय कर विक्रय इकरार निष्पादित किया हुआ है फिर भी अभियुक्तगण ने परिवादी के साथ छल कपट एवं धोखाधड़ी कर 11 लाख रुपये हड़पने की सुनियोजित योजना के तहत षडयंत्र रचकर उक्त भूमि का 1/24 हिस्सा दिनांक 08.03.2013 को भूरालाल पुत्र भगा डांगी, निवासी भमरासिया घाटी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दी। अभियुतगण ने परिवादी को विक्रय की हुई भूमि को पुनः अन्य व्यक्ति को विक्रय कर परिवादी के साथ छल कर धोखाधड़ी कर 11 लाख रुपये हड़प लिये हैं, कार्यवाही करावे। इत्यादि–इत्यादि...।

(02) उक्त परिवाद को न्यायालय द्वारा धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस थाना खेरोदा में प्रेषित किया जिस पर पुलिस थाना खेरोदा द्वारा एफआईआर संख्या 194/2015 अपराध अंतर्गत धारा 420 भा.द.स. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण गणेशलाल व नाथूलाल के विरुद्ध अपराध धारा 420 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।

(03) प्रकरण में पेश आरोप पत्र के बाद अवलोकन व सुनवाई अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 420 भा.दं.सं. के अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

(04) तत्पश्चात अभियुक्त गणेशलाल को धारा 420 भा.दं.सं. के अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप को सुन व समझकर आरोपित अपराध से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

दिनांक 16.08.2022 को अभियुक्त नाथूलाल की मृत्यु रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही ड्रोप की गयी।

(05) दौराने विचारण अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार गवाहों को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया। अभियोजन साक्ष्य समाप्ति पर अभियुक्तगण के बयान अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये जिसमें उसने अपने विरुद्ध आई साक्ष्य को गलत होना बताते हुए झूठा फंसाये जाने के कथन किए हैं। साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा।

(06) बहस अंतिम सुनी। दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने कथन किया है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध बखूबी प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

(07) दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का कथन रहा है कि जिन गवाहों के समक्ष लिखा पढ़ी की गयी उन्हें परीक्षित नहीं करवाया गया है ना ही स्टाम्प विक्रेता को परीक्षित करवाया गया है। ऐसी परिस्थिति में विक्रय इकरार किया जाना साबित नहीं होता है। इकरारनामा में वर्णित राशि परिवादी द्वारा अपने बयानों में बैंक से दिया जाना व अन्य व्यक्ति अशोक द्वारा लाकर अभियुक्त को दिया जाना बताया हैं परंतु बैंक स्टेटमेंट से 5 लाख रुपये की राशि एक साथ आहरित होना प्रकट नहीं होता है न ही अशोक नाम के व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया गया है। ऐसी परिस्थिति में यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में अभियुक्त द्वारा 11,00,000/—रुपये की राशि परिवादी से प्राप्त की गयी थी। बैंक में रहन रहते हुये बेचान किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट है ऐसी परिस्थिति में प्रवंचना बैंक के साथ हुई है ना कि परिवादी के साथ। अभियुक्त को पुलिस ने झूठा फंसाया हैं तथा प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी परीक्षित नहीं हुआ हैं। अतः अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध साबित नहीं होता है।

अपने उक्त तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 01. S.Krishna Kumar vs State (Madras) CrI.O.P.No. 30276 of 2018 and Cri.M.P. NO. 17792 of 2018. 02. Atul Saxena vs State of U.P. (Allahabad) 2022(6) All LJ 156. पेश किये।

(08) दौराने बहस पेश तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

हस्तगत प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समक्ष अवधार्य बिन्दु यह है कि :-(क) ''क्या अभियुक्त ने मौजा ग्राम फाचर पटवार हल्का करणपुर में अपने हक अधिकार एवं आधिपत्य की कृषि भूमि किता 5 रकबा 14 बीघा 3 बिस्वा का 1/20 हिस्सा दिनांक 26.11.2012 को 11,00,000/-रुपये के प्रतिफल में परिवादी को विक्रय कर विक्रय इकरार निष्पादित किया और परिवादी के पक्ष में पंजीयन कराने का आश्वासन दिया किंतु बाद में षडयंत्र रचकर परिवादी को सदोष हानि व स्वयं को सदोष नाजायज लाभ पहुंचाने की बदनियति से छल कपट एवं धोखा देकर बेईमानीपूर्वक उक्त विक्रय की हुई भूमि को दिनांक 08.03.2023 को पुनः भूरालाल को जरिये रजिस्टर्ड पत्र विक्रय कर मिथ्या प्रवंचना कर छल कारित किया?

(ख) यदि हां तो अभियुक्त किस दण्ड का पात्र है?

(09) उक्त विचारणीय बिंदु के सम्बंध में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहों की साक्ष्य को देखा जाये तो हस्तगत प्रकरण का परिवादी न्यायालय के समक्ष पी. डब्ल्यू 01 के रूप में परीक्षित हुआ है। परिवादी पी.डब्ल्यू 01 ने देवीलाल ने न्यायलय के समक्ष अपने बयानों में मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि सन 2012 में उसने गणेशलाल के हिस्से व स्वामित्व की खसरा संख्या 19, 20, 33, 34, 35 में से 5 रकबा 14 बीघा 3 बिस्वा में से 14 बिस्वा जमीन व नोहरा 11,00,000/-रुपये में जरिये इकरारनामा खरीदा जिसकी लिखा पढ़ी 100/-रुपये के स्टाम्प पर लिखी। उक्त लिखा पढ़ी का स्टाम्प गणेशलाल ने परिवादी को दिया। लिखा पढ़ी के दो गवाह नाथूलाल व रमेश थे। गणेशलाल ने परिवादी को कहा कि जब भी कहोगे रजिस्ट्री करवा देगा इसके पश्चात् बार-बार कहने पर भी अभियुक्त टालमटोल करता

रहा। परिवादी द्वारा जमीन का पता करने पर पता चला कि गणेशलाल ने उक्त जमीन व नोहरा जो परिवादी को बेचा था भूरालाल डांगी को बेचान कर दिया और उसके पक्ष में रजिस्ट्री करवा दी। गणेशलाल ने उक्त जमीन के पेटे परिवादी से 11,00,000/-रुपये भी प्राप्त कर लिये परिवादी द्वारा गणेशलाल से बेची हुई जमीन भूरालाल को बेचने पर 11,00,000/-रुपये वापस देने हेतु कहने के बावजूद भी 11,00,000/-रुपये देने से इंकार कर दिया। जिस सम्बंध में परिवादी ने एक परिवाद प्रदर्श पी-01 न्यायलय के समक्ष पेश किया जिस पर उसके हस्ताक्षर है। नक्शा मौका प्रदर्श पी-02 पर उसके हस्ताक्षर हैं। गणेशलाल द्वारा परिवादी के पक्ष में निष्पादित विक्रय इकरार प्रदर्श पी-03 पर सी से डी मुल्जिम के तथा ए से बी परिवादी के हस्ताक्षर हैं।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी जिरह में गवाह ने कथन किया है कि प्रदर्श पी-03 स्टाम्प गणेशलाल खरीद कर लाया था। स्टाम्प कहां से लाया यह उसकी जानकारी में नहीं है। इकरार प्रदर्श पी-03 मे विक्रय की गयी राशि 11,00,000/-रुपये लिखी हुई है। उसने 11,00,000/-रुपये अभियुक्त को उसी दिन दिये थे। रुपये गणेशलाल को दिये थे। रुपये नकद दिये थे। वह रुपये बाजार से और बैंक से लेकर आया था। 5,00,000/-रुपये बैंक से लाया और 6,00,000/-रुपये बाजार से लाया था। यह 6,00,000/- रुपये अशोक पुत्र किशन से लाया था। यह कहना सही हे कि उसने अशोक पुत्र किशन से 6,00,000/-रुपये लिये उसका कोई हवाला इनकम टैक्स या किसी सरकारी दस्तावेज में नहीं दिया क्योंकि रुपये उधार लिये थे और उधार वापस लौटा दिया। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-03 की पालना के लिये उसने अभियुक्त गणेशलाल और नाथूलाल को कोई नोटिस नहीं दिया। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-03 का इ से एफ भाग सही लिखा हुआ है। प्रदर्श पी-03 की पालना में मुकदमा करने से पूर्व या बाद में उसने कोई नोटिस नहीं दिया। यह कहना सही है कि रजिस्ट्री उसके सामने नहीं हुई थी। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी-03 पर सी से डी हस्ताक्षर गणेशलाल के नहीं हो। जिस समय प्रदर्श पी-03 लिखा गया उस समय वह गणेशलाल, नाथूलाल और रमेश पुत्र गणेशलाल था। यह कहना गलत है कि उसके व गणेशलाल के बीच में कभी कोई इकरार नहीं हुआ हो बल्कि इकरार हुआ था। यह कहना गलत है कि

इकरारनामा प्रदर्श पी–03 उसने झूठा व फर्जी बनाया हो बल्कि सही बनाया है। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी–03 का स्टाम्प गणेशलाल नहीं लाया हो। यह कहना सही है कि नाथूलाल की मृत्यु हो चुकी है। यह कहना सही है कि बैंक स्टेटमेंट प्रदर्श पी–05 पर कहीं भी बैंक खाता संख्या नही लिखा हुआ है। अजखुद कहा कि बैंक स्टेटमेंट फर्म के नाम से आता है। बैंक स्टेटमेंट पर फर्म का नाम है। यह कहना सही है कि उक्त फर्म उसके नाम पर हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किया है। अजखुद कहा कि फर्म उसके नाम पर है। यह कहना सही है कि दस्तावेज प्रदर्श पी–05 बैंक स्टेटमेंट व कहीं पर भी 5,00,000/–रुपये की एक बार में विड्रोल का अंकन नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–03 उसके सामने लिखा गया था व सभी ने उसके सामने हस्ताक्षर किये थे। सभी ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये थे। गणेशलाल द्वारा जमीन किसी अन्य को बेचने की जानकारी उसे पटवार मण्डल से मिली क्योंकि रजिस्ट्री पटवार मण्डल में पड़ी हुई थी।

(10) गवाह पी.डब्ल्यू 02 भैरुलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसके भाई भूरालाल ने, गणेशलाल, नाथूराम और लालूलाल से उनके हथकुण्डिया में स्थित स्वामित्व की जमीन में से 1/8 वां हिस्सा खरीद किया जिसकी रजिस्ट्री करवायी जिस पर गवाह के तौर पर उसने हस्ताक्षर किये। रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–04 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस वालों ने जमीन का मौका देखकर नक्शा मौका प्रदर्श पी–05 बनाया जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके भाई भूरालाल ने उक्त जमीन 2,21,000/–रुपये में खरीद की जिसकी रजिस्ट्री हुई थी बाद में पता चला कि इस जमीन पर गणेशलाल वगैरह ने बैंक से लोन ले रखा था देवीलाल नाम के व्यक्ति से भी इस जमीन के पेटे 11,00,000/–रुपये ले रखे थे।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी जिरह में गवाह ने कथन किया है कि यह कहना गलत है कि पुलिस में उसके बयान नहीं हुऐ हो बल्कि पुलिस में बयान हुये थे। जिस दिन पुलिस ने खेत पर मौका पर्चा बनाया उस दिन गणेशलाल ने फोन करके मौके पर बुलाया उस समय पुलिस थी उस समय बयान हुये थे। यह कहना सही है कि इस पत्रावली के सम्बंध में जितने भी उसने हस्ताक्षर किये मौके पर ही किये थे। यह कहना सही है कि मौके के अलावा अन्य किसी स्थान पर उसने

हस्ताक्षर नहीं किये। यह उसे पता नहीं है कि उसके अलावा मौके पर ओर किस–किस ने हस्ताक्षर किये। यह कहना गलत है कि देवीलाल उसके गांव का हो इसलिये वह झूठे बयान दे रहा है।

(11) गवाह पी.डब्ल्यू 03 भूरालाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसने व उसके भाइयों नाथूराम और लालूलाल ने गणेशलाल से उसके स्वामित्व की हथकुण्डिया में स्थित जमीन में से 14 बीघा में से 1/8वां हिस्सा खरीद किया जिसकी रजिस्ट्री करवायी जिस पर गवाह के तौर पर भैरुलाल व जगदीश ने हस्ताक्षर किये थे। रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रदर्श पी–04 पर सी से डी उसके व इ से एफ गणेशलाल के हस्ताक्षर है तथा एक्स स्थान पर गणेशलाल की अंगूठा निशानी है। पुलिस इस बाबत जमीन का मौका देखने आयी थी और नक्शा मौका बनाया था। उसने उक्त जमीन 2,10,000/–रुपये में खरीद की। जमीन का म्यूटेशन खुलाने के लिये गया तब पता चला कि इस जमीन पर गणेशलाल ने बैंक से लोन ले रखा था इसलिये उसके नाम पर जमीन का म्यूटेशन नहीं खुला।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी जिरह में गवाह ने कथन किया है कि उसे इस सम्बंध में कोई जानकारी नहीं थी कि गणेशलाल ने कोई जमीन देवीलाल को विक्रय कर रखी हो। यह कहना सही है कि पुलिस में उसके बयान हुये थे। उक्त जमीन उसने 2,21,000/–रुपये में खरीद की थी। वह एग्रीमेंट में समझता है। यह उसे पता नहीं है कि प्रदर्श पी–03 विक्रय इकरार उसके सामने निष्पादित किया गया और उस पर हस्ताक्षर भी उसके सामने किये गये हों। प्रदर्श पी–03 पर हस्ताक्षर ए से बी उसके सामने नहीं किये थे।

(12) गवाह पी.डब्ल्यू 04 सुरपाल सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह पटवार मण्डल ढावा में कार्यरत था। उस दिन थानाधिकारी वल्लभनगर की तहरीर पर नयी खाता संख्या 62 व पुरानी 21 सम्वत् 2068 से 2071 तक की जमाबंदी की प्रति तैयार कर दी जो प्रदर्श पी–05 है तथा नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी–06 जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। जमाबंदी के अनुसार भोलीराम, मोहनलाल पुत्र

कन्ना, माना पुत्र उदा, नाथू, नारायण, गणेश, लालू पुत्र नवला, नक्का बेवा नवला दूदा, खेमा पुत्र पिथा के नाम पर दर्ज पायी गयी।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी जिरह में गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि पुलिस तहरीर पर कोई जमाबंदी जारी करते है तो उस जमाबंदी व नक्शे पर राजकार्य हेतु निःशुल्क अंकन कर फिर जारी की जाती हैं। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–05 व प्रदर्श पी–06 पर राजकार्य हेतु निःशुल्क अंकन नहीं किया हुआ है।

(13) गवाह पी.डब्ल्यू 05 रणजीत सिंह ने न्यायालय के समक्ष अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह देवीलाल व मुल्जिम गणेशलाल को जानता है। दोनों के आपस में करीब 10 साल पहले जमीन का सौदा हुआ था। पुलिस ने नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी–05 व प्रदर्श पी–02 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी जिरह में गवाह ने कथन किया है जिस समय उसने प्रदर्श पी–05 व प्रदर्श पी–02 पर हस्ताक्षर किये उस समय वहां और कौन था उसे पता नहीं। प्रदर्श पी–05 व प्रदर्श पी–02 पर हस्ताक्षर उसने घर पर किये थे।

(14) गवाह पी.डब्ल्यू 06 अक्षय निम्बार्क ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 22.12.2015 को वह शाखा प्रबंधक के पद पर आरएमजीबी वल्लभनगर में कार्यरत था। उस दिन थानाधिकारी वल्लभनगर की तहरीर पर गणेशलाल व नाथूलाल डांगी, निवासी ढीमड़ा के खाते का रिकार्ड तथा ऋण, आवेदन की प्रति तथा भूमि भार विस्तार पत्र की प्रति बैंक के लेटर पेट प्रदर्श पी–07 के साथ संलग्न कर दी थी जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी जिरह में गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि दिनांक 22.12.2015 को वह कहां, किस जगह पदस्थापित था इस सम्बंध में कोई दस्तावेज पत्रावली में नहीं है। यह वह नहीं कह सकता कि बैंक ने कभी गणेशलाल के विरुद्ध पुलिस थाने में रिपोर्ट दी अथवा नहीं। यह कहना सही है कि यदि कोई व्यक्ति बैंक के साथ कोई धोखाधड़ी अपराध करता है तो शाखा प्रबंधक

उसकी रिपोर्ट पुलिस थाने में करता है। रिपोर्ट के सम्बंध में कार्यवाही उच्चाधिकारी को सूचित करने के बाद वहां से प्राप्त निर्देशों के अनुसार की जाती है। यह कहना सही है कि उसने गणेशलाल के विरुद्ध कभी पुलिस थाने में रिपोर्ट नहीं दी। यह कहना सही है कि मुल्जिमान ने उसके सामने कभी लोन ऋण आवेदन नहीं किया था।

(15) पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य का समग्र रूप से विवेचन किया जाये तो परिवादी पी.डब्ल्यू 01 देवीलाल ने अपने बयानों में अभियुक्त गणेशलाल के हिस्से व स्वामित्व की जमीन खसरा संख्या 19, 20, 33, 34, 35 में से 14 बिस्वा जमीन व नोहरा 11,00,000/—रुपये में खरीद किये जाने का कथन किया है तथा इस सम्बंध में लिखा पढ़ी सौ रुपये के स्टाम्प पर किये जाने के कथन भी इस गवाह ने किये हैं। इस सम्बंध में अभियुक्त गणेशलाल व परिवादी के मध्य निष्पादित विक्रय इकरार प्रदर्श पी—03 का अवलोकन किया जाये तो अभियुक्त गणेशलाल द्वारा परिवादी देवीलाल के पक्ष में उक्त वर्णित आराजी का 1/20 हिस्सा आबादी में बने हुए नोहरे सहित परिवादी के पक्ष में विक्रय किया जाना प्रकट होता है। विक्रय इकरार प्रदर्श पी—03 का अवलोकन किया जाये तो उक्त जमीन की कीमत 11,00,000/—रुपये परिवादी द्वारा अभियुक्त गणेशलाल को नकद दिये जाने का भी अंकन हैं। इस प्रकार परिवादी के बयानों से तथा प्रदर्श पी—03 इकरारनामे से यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि अभियुक्त गणेशलाल द्वारा आराजी नंबर 19, 20, 33, 34, 35 किता 5 रकबा 14 बीघा 3 बिस्वा का 1/20 हिस्सा नोहरे सहित परिवादी को जरिये विक्रय इकरार बेचान किया था। उक्त विक्रय की गयी भूमि का बेचान पुनः भूरालाल डांगी को किये जाने के कथन भी परिवादी देवीलाल ने अपने परिवाद प्रदर्श पी—01 में तथा न्यायालय के समक्ष अपने बयानों में किये है तथा गवाह पी.डब्ल्यू. 02 भैरुलाल ने भी अभियुक्त गणेशलाल तथा अन्य खातेदार नाथूराम और लालूलाल से उसके भाई भूरालाल द्वारा उनकी जमीन का 1/8वां हिस्सा जरिये विक्रय पत्र खरीद किये जाने के कथन किये हैं। विक्रय पत्र प्रदर्श पी—04 का अवलोकन किया जाये तो आराजी संख्या 19, 20, 33, 34, 35 किता 5 रकबा 14 बिघा 3 बिस्वा का 1/8 हिस्सा अभियुक्त गणेश व अन्य खातेदार नाथू व लालू द्वारा भूरालाल को विक्रय किया जाना प्रकट होता हैं। इस प्रकार परिवादी के बयानों से तथा गवाह पी.डब्ल्यू 02 व प्रदर्श

पी–04 से यह स्पष्ट रूप से साबित है कि अभियुक्त गणेशलाल द्वारा अन्य खातेदारों के साथ मिलकर परिवादी को बेचान की गयी भूमि का पुनः विक्रय भूरालाल को किया था। गवाह पी.डब्ल्यू–03 भूरालाल ने भी अपने बयानों में अभियुक्त गणेश व नाथू तथा लालू से उनके स्वामित्व की जमीन का 1/8 वां हिस्सा खरीद करने व रजिस्ट्री प्रदर्श पी–04 करवाये जाने के कथनों की पुष्टि की हैं इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध उक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से साबित है कि अभियुक्त गणेशलाल ने परिवादी को बेचान की गयी भूमि को अन्य खातेदारों के साथ मिलकर भूरालाल को विक्रय कर विक्रय पत्र का पंजीयन करवाया था। हस्तगत प्रकरण में परीक्षित गवाह पी.डब्ल्यू 06 अक्षय निम्बार्क अपने बयानों में अभियुक्त गणेशलाल, नाथूलाल के खाते का रिकार्ड तथा ऋण आवेदन की प्रति व भूमि भार विस्तार पत्र की प्रति बैंक के लेटरपेड प्रदर्श पी–07 के साथ संलग्न कर अनुसंधान अधिकारी को दिये जाने की पुष्टि अपने बयानों में करता हैं। प्रदर्श पी–07 का अवलोकन किया जाये तो प्रदर्श पी–07 राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना वल्लभनगर को लिखा गया पत्र हैं जिसमें थानाधिकारी द्वारा चाहे गये रिकार्ड के अनुसार सूचना उपलब्ध करवायी गयी हैं जिसमें गणेशलाल व नाथूलाल की आराजी संख्या 19, 20, 33, 34, 35 के संदर्भ में यह अंकित किया गया है कि प्रार्थीगण ने शाखा भटेवर से कृषि कार्य हेतु टर्म लोन खाता संख्या 4015470 ऋण राशि 2,50,000/–रुपये लेने हेतु प्रतिभूति के रूप में संदर्भित आराजी नंबर में उनका हिस्सा बैंक के पक्ष में भार अंकन करवाया। इसके पश्चात् गणेशलाल को दो टीपर खरीदने हेतु दिनांक 08.02.2011 को 57.54 लाख रुपये का ऋण खाता संख्या 11340081492 द्वारा स्वीकृत किया गया था जिस हेतु प्रार्थी ने उक्त भूमि के भार का एक्सटेशन इस ऋण हेतु करवाया था वर्तमान में उक्त ऋण संख्या 11340081492 अनियमित अवधि पार चल रहा है। इस प्रकार बैंक द्वारा उपलब्ध करवायी गयी उक्त सूचना के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि आराजी संख्या 19, 20, 33, 34, 35 पर अभियुक्त के हिस्से पर भार सृजित था। उक्त भार दिनांक 28.01.2009 से सृजित होना प्रदर्श पी–07 के अवलोकन से प्रकट होता है। अभियुक्त द्वारा परिवादी को भूमि का बेचान जरिये विक्रय इकरार प्रदर्श पी–03 दिनांक 26.11.2012 को किया जाना साबित होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियुक्त गणेशलाल द्वारा परिवादी को परिवाद में वर्णित

आराजी का विक्रय किये जाने के समय उक्त भूमि पर बैंक के पक्ष में भार सृजित था अर्थात् भूमि रहन थी, जबकि अभियुक्त द्वारा विक्रय पत्र प्रदर्श पी–03 में यह अंकन किया गया है कि उक्त आराजी मय नोहरे आज से पहले अन्य किसी दीगर व्यक्ति को रहन व बख्शीश आदि नहीं किया गया है तथा हर प्रकार के ऋण भार व अभिभारों से मुक्त है। इस प्रकार विक्रय इकरार में अभियुक्त गणेशलाल द्वारा बेचान की गयी आराजी पर भार के सम्बंध में मिथ्या व्यपदेशन किया जाना स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। परिवादी को बेचान की गयी भूमि का विक्रय भी पुनः भूरालाल को किया जाना प्रदर्श पी–04 के अवलोकन से स्पष्ट रूप से प्रकट होता है।

(16) हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त पर धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का आक्षेप हैं। धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के गठन के लिये छल तथा बेईमानी का होना आवश्यक है तथा धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के गठन के लिये अभियुक्त के द्वारा पीड़ित के साथ छल किया जाना व तद्द्वारा प्रवंचित किया गया व्यक्ति बेईमानी से उत्प्रेरित किया गया होना चाहिये कि उक्त उत्प्रेरणा के तहत सम्पत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे या किसी मूल्यवान प्रतिभूति को या किसी हस्ताक्षरित या किसी मुद्रांकित किस चीज को मूल्यवान प्रतिभूति में संपरिवर्तित किये जाने योग्य है, पूणर्तः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे या नष्ट कर दें। छल कारित किये जाने के लिये प्रारंभ से ही छल का आशय होना आवश्यक है। उक्त संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन किया जाये तो परिवादी द्वारा जिस भूमि को अभियुक्त गणेशलाल से क्रय किया गया है उक्त भूमि को रहन रखा जाना अर्थात् भार सृजित किया गया होना प्रदर्श पी–07 के अवलोकन से तथा गवाह पी.डब्ल्यू 06 के बयानों से स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। उक्त भार सृजित की हुई भूमि को मिथ्या व्यपदेशन करते हुये परिवादी को विक्रय किया गया तथा परिवादी को विक्रय की गयी भूमि को पुनः भूरालाल को विक्रय किया गया। इस प्रकार बैंक के पक्ष में भार सृजित के होते हुए परिवादी को विक्रय किया जाना तथा पुनः उसी भूमि को अन्य व्यक्ति को बेचान किया जाना अभियुक्त के छल के आशय को दर्शाता है। उक्तानुसार ही यह स्पष्ट रूप से प्रकट है कि अभियुक्त का प्रारंभ से ही छल कारित करने का आशय रहा है।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि इकरारनामे की लिखा पढ़ी के गवाहों को तथा स्टाम्प विक्रेता को गवाह नहीं बनाया गया है इस सम्बंध में न्यायालय का मत है कि यह सही है कि इकरारनामे के गवाहों को तथा स्टाम्प विक्रेता को गवाह नहीं बनाया गया है परंतु परिवादी की साक्ष्य से तथा प्रदर्श पी–03 के अवलोकन से अभियुक्त गणेशलाल द्वारा परिवादी को परिवाद में वर्णित भूमि का विक्रय किया जाना स्पष्ट रूप से प्रकट है तथा अभियुक्त द्वारा 11,00,000/–रुपये नगद विक्रय की दिनांक को प्राप्त करना भी प्रदर्श पी–03 के अवलोकन से स्पष्ट रूप से साबित है। अतः मात्र उक्त गवाहों के गवाह सूची में नहीं रखे जाने व परीक्षित नहीं होने मात्र से अभियोजन कहानी संदेहास्पद नहीं हो जाती है। अधिवक्ता अभियुक्त का यह भी तर्क रहा है कि इकरारनामा में अंकित राशि परिवादी द्वारा अभियुक्त को दिया जाना साबित नहीं है। इस सम्बंध में पत्रावली का अवलोकन किया जाये तो परिवादी ने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से 11,00,000/–रुपये अभियुक्त को दिये जाने के कथन किये हैं। जिरह में इस गवाह का कथन रहा है कि यह रुपये उसने नगद दिये थे। रुपये वह बाजार से और बैंक से लाया था। 5,00,000/–रुपये बैंक से लाया और 6,00,000/–रुपये बाजार से अशोक पुत्र किशन से लाया था। परिवादी के बैंक स्टेटमेंट प्रदर्श पी–05 के सम्बंध में अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी जिरह में किये गये कथनों को देखा जाये तो परिवादी का कथन रहा है कि उक्त प्रदर्श पी–05 में बैंक खाता संख्या नहीं लिखा हुआ है क्योंकि उक्त बैंक स्टेटमेंट फर्म के नाम से आता है। दस्तावेज प्रदर्श पी–05 में कहीं पर भी 5,00,000/–रुपये की एक बार में विड्रोल का अंकन नहीं है। यह सही है कि प्रदर्श पी–05 के अवलोकन से यह प्रकट नहीं होता है कि 5,00,000/–रुपये एक साथ विड्रोल किये गये हैं। इस सम्बंध में न्यायालय का मत है कि मात्र एक साथ राशि आहरित नहीं किये जाने मात्र से परिवादी के सम्पूर्ण कथन अमान्य नहीं हो जाते हैं। अधिवक्ता अभियुक्त का यह भी तर्क रहा है कि जिस व्यक्ति अशोक से परिवादी द्वारा 6,00,000/–रुपये लाया जाना बताया गया है उसे साक्षी के रूप में परीक्षित नहीं करवाया गया है, ना ही गवाह सूची में रखा गया है। इस सम्बंध में न्यायालय का मत है कि यह सही है कि जिस व्यक्ति से 6,00,000/–रुपये लाया जाना बताया गया है उक्त व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष

परीक्षित नहीं करवाया गया है परंतु हस्तगत प्रकरण में न्यायालय को परिवादी की वित्तिय क्षमता का निर्धारण नहीं करना है न ही यह तय करना है कि परिवादी द्वारा किस स्रोत से अभियुक्त को विक्रय पेटे दी गयी राशि प्राप्त की गयी थी। प्रदर्श पी–03 में स्पष्ट रूप से राशि 11,00,000/–रुपये का अभियुक्त गणेशलाल को नकद दिये जाने का उल्लेख है। ऐसी परिस्थिति में उक्त तर्कों से बचाव पक्ष को कोई बल प्राप्त नहीं होता है। अधिवक्ता अभियुक्त का यह भी तर्क रहा है कि हस्तगत प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं हुआ है। इस सम्बंध में न्यायालय का मत है कि हस्तगत प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी मृत्यु हो जाने के कारण न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं हुआ है परंतु पत्रावली पर उपलब्ध उक्त गवाह के अतिरिक्त समस्त साक्ष्य से अभियुक्त गणेशलाल द्वारा परिवादी के साथ छल किया जाना तथा छल के परिणाम स्वरूप प्रवंचित परिवादी द्वारा सम्पत्ति का क्रय किया जाकर 11,00,000/–रुपये का भुगतान किया जाना स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। ऐसी परिस्थिति में उक्त तर्कों से बचाव पक्ष को कोई बल प्राप्त नहीं होता है।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा दौराने बहस न्यायिक दृष्टांत दृष्टांत 01. S.Krishna Kumar vs State (Madras) CrI.O.P.No. 30276 of 2018 and Cri.M.P. NO. 17792 of 2018. 02. Atul Saxena vs State of U.P. (Allahabad) 2022(6) All LJ 156. पेश किये गये है। उक्त दोनों ही न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया जाये तो उक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित किया गया है कि धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आपराधिक दायित्व के लिये छल का होना तथा प्रारंभ से ही छल का आशय होना आवश्यक हैं। हस्तगत प्रकरण में पूर्वोक्त किये गये विवेचन के अनुसार अभियुक्त का प्रारंभ से ही छल का आशय होना स्पष्ट रूप से साबित होता है। ऐसी परिस्थिति में उक्त न्यायिक दृष्टातों से बचाव पक्ष को कोई बल प्राप्त नहीं होता है। पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त गणेशलाल द्वारा परिवाद प्रदर्श 01 में वर्णित वर्णित अपने हिस्से की भूमि का परिवादी को जरिये प्रदर्श पी–03 विक्रय इकरार के बेचान किया जाना तथा उक्त बेचान के पेटे 11,00,000/–रुपये प्राप्त करना व बार–बार कहने पर भी रजिस्ट्री नहीं करवाने तथा अन्य व्यक्ति भूरालाल को उक्त भूमि का पुनः बेचान किया जाना तथा परिवादी को सदोष हानि व स्वयं को सदोष लाभ कारित किया जाना स्पष्ट रूप से साबित है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह भी साबित है कि अभियुक्त गणेशलाल द्वारा बैंक के पक्ष में सृजित भार के बावजूद परिवादी को उक्त भूमि को बेचान किया गया था इस प्रकार उक्त तथ्यों से अभियुक्त का बेईमानीपूर्ण आशय प्रारंभ से ही दर्शित होता है। पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य के उपर्युक्त समस्त विवेचन से अभियुक्त के विरुद्ध धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध बखूबी प्रमाणित पाया जाता है। अतः अभियुक्त गणेशलाल को धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

—::आदेश::—

(17) परिणामतः अभियुक्त 01. गणेशलाल पुत्र नवला, उम्र 48 वर्ष, निवासी ढीमड़ा, पुलिस थाना वल्लभनगर, जिला उदयपुर को धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत—मुचलके निरस्त किये जाते है।

अभियुक्त नाथूलाल पुत्र नवला, उम्र 62 वर्ष, निवास ढीमड़ा, पुलिस थाना वल्लभनगर, जिला उदयपुर की मृत्यु से कार्यवाही ड्रोप की जा चुकी है।

(प्रेम गढवाल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
वल्लभनगर, जिला उदयपुर

(18) सजा के बिन्दु पर सुना गया। अभियुक्त का कथन है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है, उसके द्वारा पूर्व में किसी प्रकार का परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ प्राप्त नहीं किया है। लगभग 10 वर्ष से अभियुक्त अंवीक्षा भुगत रहा हैं। अतः अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाया जाकर उसे परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाने का निवेदन किया।

जिसका विरोध करते हुए विद्वान अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त को युक्तियुक्त दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया है।

(19) उक्त तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने से अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि का कोई तथ्य होना प्रकट नहीं होता है। अभियोजन पक्ष की ओर से भी अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि

बाबत् कोई साक्ष्य पेश नहीं की है परन्तु अभियुक्त के विरूद्ध धारा 420 भारतीय दंड संहिता का अपराध प्रमाणित पाया गया है तथा परिवादी के साथ छल, कपट एवं धोखा देकर बेईमानीपूर्वक बैंक के पक्ष में सृजित भार के होते हुए परिवादी को भूमि का विक्रय किया तथा परिवादी को विक्रय की गयी भूमि को पुनः अन्य व्यक्ति को विक्रय कर मिथ्या प्रवंचना कर छल कारित करने का कृत्य किया गया हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायालय के मत में न्यायोचित नहीं हैं। अतः अभियुक्त को कारावास के दण्ड से व जुर्माने से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

—::दण्डादेश::—

(20) परिणामतः अभियुक्त 01.गणेशलाल पुत्र नवला, उम्र 48 वर्ष, निवासी ढीमड़ा, पुलिस थाना वल्लभनगर, जिला उदयपुर को अपराध अन्तर्गत धारा 420 भारतीय दंड संहिता में दोषसिद्धि पर 03 वर्ष के साधारण कारावास से तथा 10,000/— अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता हैं। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त एक महीने का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतेगा। अभियुक्त द्वारा पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि नियमानुसार उक्त सजा में समायोजित होगी। उक्तानुसार सजा वारण्ट बनाया जावें। अभियुक्त को निर्णय की प्रति निःशुल्क दी जावे।

(प्रेम गढवाल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
वल्लभनगर, जिला उदयपुर

(21) निर्णय व दण्डादेश आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेम गढवाल)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
वल्लभनगर, जिला उदयपुर